COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

(197)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प, सागर म. प्र.

निगरानी 913-I-15

रामकिशोर तनय मुलइया अहिरवार,

निवासी- ग्राम बंदेला तहसील गौरीहार,

जिला छतरपुर " म.प्र. "

-- निगरानीकर्ता

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन, बद्रीप्रसाद

-- अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू राजस्व संहिता

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनाँक 18/6/12 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :-

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि, ग्राम बंदेला स्थित भूमि खसरा क्र. 445, 170, 325 रकबा 0.405, 0.324, 0.098 हेक्टेयर क्रमशः पर निगरानीकर्ता का अनेकों वर्ष से कब्जा चला आ रहा था, जिस कारण से मध्य प्रदेश दखल रहित अधि0 के अन्तर्गत 2/10/1984 के पूर्व निगरानीकर्ता का कब्जा प्रमाणित होने से नायब तहसीलदार सरवई द्वारा दिनाँक 7/8/1998 को निगरानीकर्ता के पक्ष में उपरोक्त भूमि का व्यवस्थापन स्वीकार किया गया, जिसके विरुद्ध अनावेदक द्वारा एक विधिविरुद्ध निगरानी श्रीमान अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसमें श्रीमान अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा विधि विरुद्ध आदेश पारित किया गया है, जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्ता की यह निगरानी सादर आधारों पर प्रस्तुत है ।

2. यह कि, श्रीमान अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थितियों का विपरीत तरीके से उपयोग करते हुये विधि विपरीत आदेश पारित किया है, जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

/2/

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-913-एक/2015 जिला छतरपुर

रामकिशोर विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम
07-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 516/निगरानी/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 18-06-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 06-05-2019 को आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर के जैन) 07/3/19 सदस्य	